

ARYAVART BANK WORKERS ORGANISATION



ARYAVART BANK OFFICERS ORGANISATION

(Affiliated to: AIGBWO, AIGBOO, BMS)

केन्द्रीय कार्यालय
59, सी स्कीम, पटेल नगर
सरदार पटेल मार्ग, जयपुर (राजस्थान)

कार्यालय
291, बेगम बाग,
सीतापुर (उ०प्र०)

प्रांतीय, कार्यालय
माल रोड़ 2, नवीन मार्केट,
कानपुर (उ०प्र०)

Web: <https://abwoo.org>
off.Email: bms@abwoo.org

पत्रांक: ABOO_WO/2021/003

दिनांक: 22-02-2021

सेवा में,
अध्यक्ष
आर्यावर्त बैंक
प्रधान कार्यालय- लखनऊ।

महोदय,

**दिनांक 27-02-2021 को सम्पन्न होने जा रही
CCM हेतु संगठन द्वारा संयुक्त सुझाव/ मांगों के संबंध में**

उपरोक्त विषय के संबंध में संगठन द्वारा निम्न सुझाव/मांग दी जा रही है जिनपर सकारात्मक चर्चा आवश्यक है। कृपया निम्न बिन्दुओं पर शीघ्र निराकरण की कार्यवाही करने का कष्ट करें:-

1. प्रवर्तक बैंक के समान पेट्रोल भत्ता एवं विराम भत्ता समस्त कार्मिकों हेतु लागू किया जाए।
2. Fixed Transport Allowance प्रवर्तक बैंक के समान दिया जाए।
3. TA बिल व Medical बिल का निस्तारण समय से किए जाने हेतु समय सीमा तय की जाए।
4. Staff ऋण आवेदन के निस्तारण में अत्यधिक समय लग रहा है। इसे देखते हुए इसके निस्तारण हेतु समय सीमा तय की जाए ताकि स्टाफ को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
5. शाखाओं पर शुद्ध पेयजल एवं महिला तथा पुरुष दोनों के लिए उपयोग में सुविधाजनक शौचालय की व्यवस्था की जाए।
6. कार्यालय परिचर को सफाई भत्ता तथा ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन वर्दी के भुगतान की अविलंब व्यवस्था की जाए।
7. समस्त कार्मिकों को Mandatory Leave का प्रावधान किया जाए।
8. अवकाश के दिन कार्य करने वाले Workmen स्टाफ को नियमानुसार Overtime का भुगतान किया जाए।
9. Cash Remittance की गाड़ियों में सुरक्षा मानकों का पुख्ता इंतजाम करने के साथ गाड़ी पर चलने वाले स्टाफ का अतिरिक्त बीमा करवाया जाए।
10. समस्त आर्यावर्त बैंक के लिए UCL का परिपत्र जारी किया जाए।
11. New Mediclaim Policy में Corporate Buffer को 50 लाख से बढ़ाकर कम से कम 2 करोड़ किया जाए।
12. एक निश्चित अवधि पर स्टाफ प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए।
13. बिना Specified Person के Verify किए Third Party Insurance पर रोक लगाई जाए। बैंक द्वारा समय समय पर विभिन्न Circulars जारी कर निर्देश तो जारी किए गए हैं किन्तु अनुपालन नहीं किया जा रहा है। Specified Persons द्वारा Verified forms की प्रति शाखाओं को उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है।
14. प्रोन्नति प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण किया जाए।
15. Transfer Policy की समीक्षा संगठन के साथ की जाए एवं संगठन के सुझावों को शामिल किया जाए।
16. समस्त शाखाओं में Lease Line/ Dual Connectivity की सुविधा जल्द से जल्द उपलब्ध कारवाई जाए जिससे network की समस्या का समाधान हो सके।
17. समस्त शाखाओं में 3 वर्ष से अधिक पुराने हो चुके Computer Hardware को बदला जाए।
18. LFC में परिवार की आय हेतु आय प्रमाण पत्र के स्थान पर Self Declaration की व्यवस्था को लागू किया जाए।
19. सभी शाखाओं में Note Sorting machine की व्यवस्था की जाए।
20. Covid Leave अभी तक sanction नहीं हो सकी हैं उन्हें शीघ्र Sanction किया जाए।
21. समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को संगठन के चयन का अधिकार HRMS के माध्यम से दिये जाने की व्यवस्था की जाए।
22. NPS को लागू करते समय समस्त संगठनों की मौजूदगी में यह तय हुआ था कि 1 वर्ष तक Fund management का अधिकार Locked रहेगा उसके पश्चात Fund Investment का अधिकार NPS Subscriber हेतु Open कर दिया जाएगा जो कि अभी तक नहीं किया गया है। इस हेतु चर्चा एवं समाधान अपेक्षित है।

Dream India: Clean India, Green India

(भारत माता की जय)

ARYAVART BANK WORKERS ORGANISATION & ARYAVART BANK OFFICERS ORGANISATION

(Affiliated to: AIGBWO, AIGBOO, BMS)

केन्द्रीय कार्यालय
59, सी स्कीम, पटेल नगर
सरदार पटेल मार्ग, जयपुर (राजस्थान)

कार्यालय
291, बेगम बाग,
सीतापुर (उ०प्र०)

प्रांतीय, कार्यालय
माल रोड 2, नवीन मार्केट,
कानपुर (उ०प्र०)

Web: <https://abwoo.org>
off.Email: bms@abwoo.org

(क्रमशः)

23. बैंक में नए Staff की भर्ती होते ही जिन परिक्षेत्रों में Staff की कमी है सर्वप्रथम उन परिक्षेत्रों में समुचित Staff, Mitra Committee की अनुशंसा के अनुरूप प्रेषित किए जाने की व्यवस्था की जाए। इस हेतु Planning पहले से ही कर ली जाए।
24. Ekyc/ Biometric द्वारा सुविधा शीघ्र चालू की जाए जिससे शाखाओं में आधार ग्राहकों में खालों में दर्ज हो सकें ताकि वे कहीं से भी Transactions कर सकें ताकि शाखाओं में अनावश्यक भीड़ न लगे।
25. Transfer Policy के अनुसार 57 वर्ष से अधिक/ Medical के आधार पर कर्मिकों/ बैंक में कार्यरत पति पत्नी के मामलों में स्थानांतरण शीघ्र किए जाएँ।
26. Staff से संबन्धित Pending Legal मामलों के शीघ्र सकारात्मक निस्तारण की व्यवस्था की जाए।
27. अन्य विषय।
भवदीय



(Pravin Kumar Singh)
General Secretary
Workers Organisation



(Lalit Singh)
General Secretary
Officers Organisation

प्रतिलिपि:

1. क्षेत्रीय प्रबन्धक, समस्त परिक्षेत्र को सूचनार्थ प्रेषित।
2. दोनों इकाइयों के संगठन अध्यक्षों, कार्यकारी अध्यक्षों एवं कार्यकारी महामंत्रियों को सूचनार्थ प्रेषित।